उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– 684 / XXVII(9) / स्टाम्प–01 / 2010
देहरादूनः दिनांकः 13 अगस्त, 2010

अधिसूचना / संशोधन

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या–16, 1908) की धारा 78 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10, सन् 1897) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में पगकाशन की तारीख से सरकारी अधसूिचना संख्या–एस0आर0–976 / 11–95–500(51) / 75 दिनांक 31 मार्च 1976 समय–समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) रजिस्ट्रेशन शुल्क की सारिणी में शब्द ''पांच हजार रूपये मात्र'' के स्थान पर शब्द ''दस हजार रूपये मात्र '' रख दिये जायेंगे।

(ख) अनुच्छेंद–1 में, एवं अनुच्छेद 1 की टिप्पणी के खण्ड (पांच) में शब्द और अंक ''5 रूपये'' जहां कहीं आये हों, के स्थान पर ''दस रूपये'' रख दिये जायेंगे।

(ग) अनुच्छेद–3 में, एवं अनुच्छेद 3 के अन्त में आने वाल परन्तुक में, शब्द एवं अंक ''5 रू0'' जहां कहीं आये हो, के स्थान पर शब्द '' दस रूपये'' रख दिये जायेंगे।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव ।

पत्रांक : 684(1) / xxvii(9) / 2010 / स्टाम्प–01 / 2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3. न्याय / विधायी अनुभाग / भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की, जिला हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित किवे उक्त अधिसूचना को (अंग्रेजी रूपान्तरण सहित) सरकारी गजट में आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100–100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
5. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।